3306
31/7/18

(7)

कार्यालय भू–अर्जन अधिकारी,एंव भू–अर्जन अधिकारी,खण्डवा

क्रंमांक– /री –2/भू. अ./18 / 1748 खण्डवा दिनांक– 2.7.2018

प्रति.

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय– **''आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कण्डिा 11(1)''** के तहत **सार्वजनिक सूचना** का म. प्र. राजपत्र मे प्रकाशन होने बाबत् । प्रकरण कमांक **001/अ–82/2017–18** ग्राम नावली तहसील **खण्डवा**

––00––

''आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कण्डिा 11(1)'' के तहत **सार्वजनिक सूचना** का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग–1 मे होना हैं। **कलेक्टर जिला खण्डवा** द्वारा हस्ताक्षरित **सार्वजनिक सूचना** की दो प्रतियां **(एक मूल प्रति एवं एक फोटो प्रति)** आप की ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र मे शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न–02 प्रतियां।

अनुविभागीय अधिकारी खण्डवा (म.प्र.)

(संजीव केशव पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी,एंव
भू–अर्जन अधिकारी,खण्डवा

पृ.क्रमांक– /री –2/भू. अ./18 1749 खण्डवा दिनांक– 2.7.2018

प्रतिलिपि–

1. संचालक जन संपर्क सचालनालय म.प्र. की ओर **सार्वजनिक सूचना** की चार प्रतियां भेजकर निवेदन हे कि, कृपया इस क्षेत्र मे पढे जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रो मे इसका प्रकाशन करवाकर इसकी एक–एक प्रतियां इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित **सार्वजनिक सूचना** को जिले की वेबसाईट पर **अपलोड** करने का कष्ट करे।
3. तहसीलदार **खण्डवा** की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि, एक–एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम मे डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणीकरण के 8 दिवस मे वापिस भिजवाने की व्यवस्था करे।

   1.कलेक्टर कार्यालय नोटीस बोर्ड 2.एस. डी. ओ. कार्यालय खण्डवा नोटीस बोर्ड
   3. तहसील कार्यालय खण्डवा नोटीस बोर्ड 4. ग्राम पंचायत नावली नोटीस बोर्ड
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं गजट तथा पेपर प्रकाशन प्रति संकलित कर पेश करने हेतू।

(संजीव केशव पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी,एव
भू–अर्जन अधिकारी,खण्डवा

3306
31/7/18

कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा (म.प्र.)

क्र. / /एलए/ खण्डवा, दिनांक 28-6-2018

रा.प्र.क्र. 0011/A82/2017-18 नावली

// सार्वजनिक सूचना //

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय–समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12.02.2014/सात/ए दिनांक 12.11.2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू धारकों की **"आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति"** जारी की गई है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा को पलासी तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम नावली के मकानों की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके मकान स्वामीयों द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र–ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसीं सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका–11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत मकान विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को मकान के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

अनुविभागीय ... खण्डवा (म.प्र.)

आपसी सहमति से क्रय किये जाने वाले मकानों का विवरण

जिला खण्डवा, तहसील खण्डवा, पटवारी हल्का नं. 04, ग्राम नावली राजस्व निरीक्षक मण्डल चिचगोहन

क्र.	मकान मालिक का नाम	खसरा नं.	सम्पत्ति का विवरण
1	2	3	4
1	उमेरसिंह पिता किशोरसिंह	254 शासकीय	कच्चा मकान
2	दिलीपसिंह पिता किशोरसिंह	254 शासकीय	कच्चा मकान
3	तुलसीराम पिता बुधन	258 शासकीय	कच्चा मकान
4	भीमा पिता चिन्ताराम	260 निजी	कच्चा मकान

(विशेष गढ़पाले)
कलेक्टर
जिला खण्डवा (म.प्र.)